



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 269/2018

दायर दिनांक 02.08.2018

वादी	वनाम्	प्रतिवादीगण
1. शेतानाराम पुत्र विरदाराम, उम्र-45साल, जाति-नायक, निवासी-खुडी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. तिलोकाराम पुत्र नानूराम, उम्र-45साल, 2. नाथुराम पुत्र मुकनाराम, उम्र-40साल, समस्त, जाति-नायक, निवासी-खुडी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. आई.सी.आई.सी. बैंक, शाखा-कुचामनसिटी, तहसील-कुचामनसिटी, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा वावत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से।


--: निर्णय :-

दिनांक 13.09.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद खुडी में पुराना खसरा नम्बर 12 रकबा 26.00 बीघा भूमि स्थित थी जिसके नये खसरा नम्बर 334/12 रकबा 10.00 बीघा हुए।

वादगस्त भूमि में से रकबा 07.00 बीघा भूमि वादी ने पुराना खसरा नम्बर 12 रकबा 26.00 बीघा में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयनामा के दिनांक 10.04.2001 को खरीद की है। उक्त क्रय सुदा भूमि खसरा नम्बर 334/12 की भूमि में आ चुकी है। रजिस्टर्ड विक्रयनामा की प्रति वाद के साथ पेश है।

वादी अनुतोष-


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 269/2018
 दायर दिनांक 02.08.2018, निर्णय दिनांक 13.09.2018
 शेतानाराम बनाम् तिलोकाराम, वगैरा।

शरहद खुड़ी के खसरा नम्बर 334/12 रकबा 10.00 बीघा भूमि में से रकबा 07.00 बीघा की खातेदारी वादी के नाम तथा शेष रकबा 03.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से नजरीनकशा अनुसार घोषित की जावे

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।


राजीनामा के मुताबिक, वाद अनुतोषानुसार दावा डिक्री किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, जमाबन्दी ग्राम खुड़ी सम्वत् 2073-2076 खेवट संख्या 90/74 खसरा नम्बर 334/12 की प्रमाणित प्रतिलिपि व रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 10.04.2001 की छायाप्रति व नामान्तरकरण की छायाप्रति पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।



 सहायक कलेक्टर
 बीडबाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 269/2018
दायर दिनांक 02.08.2018, निर्णय दिनांक 13.09.2018
शेतानाराम बनाम् तिलोकाराम, वगैरा।


आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद खुडी के वादवर्णित खसरा नम्बर 334/12 रकबा 10.00 बीघा भूमि का बन्तवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित/वर्णित अनुसार भूमि रकबा 07.00 बीघा का वादी को तथा शेष भूमि रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिक्री बमुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 269/2018

दायर दिनांक 02.08.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. शेतानाराम पुत्र बिरदाराम, उम्र-45साल, जाति-नायक, निवासी-खुड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. तिलोकाराम पुत्र नानूराम, उम्र-45साल, 2. नाथुराम पुत्र मुकनाराम, उम्र-40साल, समस्त, जाति-नायक, निवासी-खुड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. आई.सी.आई.सी. बैंक, शाखा-कुचामनसिटी, तहसील-कुचामनसिटी, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
बनाम्	

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनांक 13.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद खुड़ी के वादवर्णित खसरा नम्बर 334/12 रकबा 10.00 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित/वर्णित अनुसार भूमि रकबा 07.00 बीघा का वादी को तथा शेष भूमि रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज
की तारीख को अदा करें। वसव्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख 13.09.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करनी चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवानी (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-269-2018/रीडर/2018/ 030

दिनांक 18/9/18

प्रेषित:-

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. शेतानाराम पुत्र बिरदाराम, उम्र-45साल, जाति-नायक, निवासी-खुड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तिलोकाराम पुत्र नानूराम, उम्र-45साल, 2. नाथुराम पुत्र मुकनाराम, उम्र-40साल, समस्त,जाति-नायक, निवासी-खुड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. आई.सी.आई.सी. बैंक, शाखा-कुचामनसिटी, तहसील-कुचामनसिटी, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये, वशर्त किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)